Annexure-I

FORM-I
(For linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector Sikar
****

No./Rev/2017/ 4370-71 Dated..5/10/17..

TO WHOSE EVER IT MAY CONCERN

To,
X.En.
PWD, Division, Sikar

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects and in continuation of this office letter no. Rev/2017/4183-84 dated 22.09.2017, it is certified that 6.35 hectares of forest land of forest block harshnath, village Antari Range Sikar Division Sikar proposed to be diverted in favour of X.En. , PWD, Division, Sikar (name of user agency) for improvement widening Strenghtening of Sikar Harshparvat road from km 8/750 to 15/100 Km. having Khasara No- 2 area 0.50 hectares, Khasra No. 6 area 0.84 hectares, Khasra No. 7 area 1.23 hectares & Khasra No. 510 area 3.78 hectares Total Khasra 4 Total area 6.35 hectares in Village Antari Gram Panchayat Bidoli Tehsil Dhod District Sikar (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Forest area 6.35 hectares of Harshnath forest block Range Sikar Division Sikar.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.35 hectrares of forest area proposed for Diversion in Forest area of Harshnath block. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it:

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above.

Naresh Kumar Thakral
District Collector
Sikar

No./Rev/2017/ 4370-71 Dated....5/10/17....
Copy forwarded to:

1. D.F.O. Rang Sikar for N.A.

District Collector Sikar

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर,सीकर

आज दिनांक 29.09.17 को सायः 4.00 बजे वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में वर्णित जिला स्तरीय समिति के कृत्यों का वर्णन व विश्लेशण किया गया। जिला स्तरीय समिति की मिटींग जिला कलक्टर महोदय सीकर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

1. श्री राजेन्द्र कुमार हुड्डा — उप वन संरक्षक
2. श्री ओम प्रकाश राड़, — AD समाज कल्याण विभाग, सीकर
3. श्री प्रहलाद सिंह — XEN, PWD सीकर
4. श्री भवर लाल वर्मा — जिला परिषद सदस्य

इस बैठक में निम्न एजेन्डों पर विचार विमर्श किया गया ।

क्र. स.	प्रकरण का नाम	प्रकरण का संशोधित नाम	क्षेत्रफल	वनखण्ड क्रमांक	विशेष विवरण
1.	सीकर हर्ष पर्वत सड़क कि. मी. 8/750 से 15/250 में आने वाली वन खण्ड ग्राम आंतरी, तह. धोद के खसरा नं. 2 रकबा 0.50 है, ख.नं. 6 रकबा 0.84 है., ख.नं. 7 रकबा 1.23 है व ख.नं. 510 रकबा 3.78 है. कुल किता 4 कुल रकबा 6.35 है.	सीकर हर्ष पर्वत सड़क कि. मी. 8/750 से 15/100 में आने वाली वन खण्ड ग्राम आंतरी, तह. धोद के खसरा नं. 2 रकबा 0.50 है, ख.नं. 6 रकबा 0.84 है., ख.नं. 7 रकबा 1.23 है व ख.नं. 510 रकबा 3.78 है. कुल किता 4 कुल रकबा 6.35 है.	6.35 है.	सीकर हर्ष पर्वत	अधि.अभि. सानिवि खण्ड सीकर के पत्रांक 5049 दि. 26.09.17 के संदर्भ में।

बैठक में प्रकरण के संशोधित नाम पर सहमति व्यक्त की गयी।

क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित ग्राम आंतरी तहसील धोद के खसरा नं. 2 रकबा 137.67 है. मे से 0.50 है, ख.नं. 6 रकबा 42.15 है. मे से 0.84 है., ख.नं. 7 रकबा 122.76 है. मे से 1.23 है व ख.नं. 510 रकबा 151.96 है. मे से 3.78 है. कुल किता 4 कुल रकबा 6.35 है. भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी के हित व वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक उपखण्ड अधिकारी, धोद की अध्यक्षता मे दिनांक 15.09.17 को तथा ग्राम पंचायत बिड़ोली की 03.08.17 को आयोजित की गयी, जिसमें उन्होने अवगत कराया है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी के अधिकार का कोई दावा लम्बित नही है। प्रत्यावर्तन से ऐसे किसी प्रारम्भिक कृषक के हित प्रभावित नही होते हैं।

उक्त प्रस्तावित प्रकरण मे वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति या अन्य वन आजिविका पर आधारित कोई समुदाय या ऐसे प्रारम्भिक कृषक जिनके हित इस प्रत्यावर्तन से प्रभावित होते हो निवास नहीं करते है व इनके कोई मामले लम्बित या प्रस्तावित नही है। ऐसी स्थिति में प्रत्यावर्तन गैर वन कार्य हेतु सर्व सम्मति से स्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिला कलक्टर
सीकर

D:\Revunue cell\Proceeding.docx

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, धोद

वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 बैठक दिनांक 15.09.2017

कार्यवाही **विवरण**

अनुसुचित जन जाति और अन्य परम्परागत् वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 के अंतर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति उप खण्ड धोद की बैठक उप खण्ड अधिकारी धोद की अध्क्षता में दिनांक 15.09.2017 को आयोजित की गई , जिसमे निम्ननिखित सदस्य उपस्थित रहे-

क्र. स.	नाम/ पद नाम	हस्ताक्षर
1	उप खण्ड अधिकारी धोद – सुश्री भावना गर्ग	
2	तहसीलदार धोद श्री मंगलचन्द सैनी	
3	श्री श्रवण कुमार झाझड़िया रेंजर , वन विभाग,रेंज सीकर	
4	श्री विक्रम सिंह राठौड़ विकास अधिकारी पं.सं धोद	
5	श्रीमती पुष्पा कंवर/ श्री विक्रम सिंह ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला सीकर पंचायत समिति सदस्य	पुष्पा कंवर
6	श्रीमती सुनिता /ओमप्रकाश(अ0जा0) ~~श्री चुन्नालाल मेघवाल~~ नि0 ग्राम नेतडवास तहसील धोद पंचायत समिति सदस्य	सुनिता
7	श्री गंगाधर /धन्नाराम बधाला नि0 ग्राम श्योता का बास तहसील धोद पंचायत समिति सदस्य	
8	श्रीमती अनिता सहायक अभियन्ता सा0 नि0 वि0 उपखण्ड धोद मु0 सीकर	

बैठक में वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 मे वर्णित उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये जाने वाले कार्यो पर चर्चा एंव विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में सीकर से हर्ष पर्वत सड़क किमी. 8/750 से 15/100 तक हर्षनाथ वन खण्ड की 6.35 है0 वन भूमि के डाईवर्जन प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया।

बैठक में एक प्रकरण सीकर हर्ष पर्वत किमी . 8/750 से 15/100 का नवीनीकरण चौड़ाई एंव सुद्रढीकरण निर्माण कार्य का प्राप्त हुआ है। इसमें सीकर रेंज वन मण्डल सीकर के हर्षनाथ वन खण्ड की 6.35 है0 वन भूमि के प्रत्यार्वतन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रस्ताव में वन भूमि को गेर वानिकी कार्यो सड़क निर्माण के उपयोग में लेने हेतु सबंधित क्षेत्र में कोई वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008 में वर्णित अनुसुचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई समुह या परिवार इस क्षेत्र में निवास नहीं करता है। ऐसे जनजातियों या समुह का कोई दावा उपखण्ड स्तरीय समिति के पास प्राप्त नहीं हुआ है न ही विचाराधील है प्रस्तावित वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित भी प्रभावित नहीं होते है। अत वन भूमि प्रत्यार्वतन में इस अधिनियम का कोई धारा प्रभावित नहीं होती है उपखण्ड स्तरीय समिति डाईवर्जन प्रस्ताव की अभिशंषा करती है।

उप खण्ड अधिकारी, धोद

कार्यालय ग्राम पंचायत, बिडोली, तहसील धोद, जिला सीकर

क्रमांकः 126 दिनांकः 05-09-2017

ग्राम सभा बैठक दिनांक 03.08.2017 के प्र.सं. 03 की सत्य प्रतिलिपि

ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 03 रूरल रोड़ मद योजनान्तर्गत स्वीकृत सीकर हर्ष पर्वत सड़क किमी. 8/750 से 15/100 का नवीनीकरण चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण निर्माण कार्य के लिये ग्राम सभा में प्रार्थना पत्र अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–सीकर द्वारा प्रस्तुत किया है तथा इस वन भूमि में अनुसूचित जनजाति व अन्य परमपरागत वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 3(1)व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोई दावा लम्बित नही है, प्रकियाधीन नही है तथा उक्त वन भूमि पर अन्य परमपरागत कृषक का कोई कब्जा नही है, इत्यादि के संबंध में अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सीकर द्वारा ग्राम सभा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र में अंकित विवरण के अनुसार एवं ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के रिकार्ड अनुसार रूरल रोड़ मद योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़क सीकर हर्ष पर्वत सड़क किमी. 8/750 से 15/100 का नवीनीकरण चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण निर्माण कार्य ग्राम आंतरी, ग्राम पंचायत बिडोली, तहसील धोद जिला सीकर में हर्षनाथ वन खण्ड रेंज सीकर वन मण्डल सीकर में प्रस्तावित 6.35 है0 वन भूमि में वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(1)व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति व अन्य परमपरागत वनवासी का कोई भी व्यक्ति निवास नही कर रहा है तथा ग्राम सभा को न ही कोई दावा प्राप्त हुआ है एवं न ही विचाराधीन है। उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से किया गया। ग्राम सभा सर्वसम्मति से वन खण्ड हर्षनाथ के 6.35 है0 वन भूमि के डाईवर्जन प्रस्ताव की अभिशंषा करती है एवं ग्राम सभा अनापत्ति जारी करती है।

पदेन सचिव
ग्राम पंचताय बिडोली
पं.स. धोद (सीकर)

सरपंच
ग्राम पंचताय बिडोली
पं.स. धोद (सीकर)

सरपंच
ग्राम पंचायत बिडोली
पं. स. धोद (सीकर)

ग्राम सभा दिनाँक 3-8-2017

श्रीमान शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के पत्रांक 61(24) ग्रावि/मन/नि.मा.3/ना.ओके.कर्ष/15-16/3935 दिनांक 12.6.2017 एवं श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर के पत्रांक 2800-2815 दिनांक 14-7-2017 के आदेशों की पालना में व. विकास अधिकारी पं.स. धोद के आदेश क्रमांक 757 दिनांक 24-7-17 के आदेशों की पालना में आज दिनांक 3-8-2017 को पंचायत में मनरेगा योजना व इंदिरा आवास योजना का सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा का आयोजन ग्राम पंचायत किरडोली में किया गया।

आज की ग्राम सभा में उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी व ग्रामीण जन के हस्ताक्षर

1	भोलाराम मीणा	सरपंच	[signature]
2	नन्दा मीणा	ग्रामसेवक	[signature]
3	अलका सैनी	कनि. लिपि.	अलका
4	मैना राठोड	साक्षरता प्रेरक	Meena
5	गंगाराम	पंच	गंगाराम
6	डालुराम गुर्जर	गार्ड	डालुराम गुर्जर
7	दीपक दाधीच	उपसरपंच	Deepak
8	बनारसी देवी	वार्डपंच	बनारसी
8	दुर्गा प्रसाद	वार्डपंच	दुर्गाप्रसाद
9	[illegible]	वार्डपंच	[signature] राधा

प्रस्ताव = 03

स्टेट रोड मद योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़क सीकर हर्ष पर्वत सड़क किमी 8/750 से 15/100 का नवीनीकरण, चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य के लिए NOC चाहने बाबत प्रार्थना पत्र ग्राम सभा में प्रस्तुत किया गया

इसके दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) में प्रावधान अनुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित नहीं है/ अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

उक्त कार्य जन हितकारी होने से ग्राम सभा में सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा ग्राम पंचायत से NOC जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया /

प्रस्ताव = 04

ग्राम कुण्डलपुर में पहाड़ी की तरफ से पानी आने बहाव क्षेत्र में गाइड बान्ध बनाने का प्रस्ताव वार्ड पंच ।। प्रभुदयाल यादव द्वारा ग्राम सभा रखवा गया

इसके में सभी सदस्यों के द्वारा कुण्डलपुर नदी से व पूर्व साइड में गाइड बान्ध बनने से सभी बस्ती वालों व गांव वालों को फायदा होगा क्योंकि कभी भी भारी बरसात आने से सभी को सुरक्षा मिलेगी इसी प्रकार यह कार्य जन हित होने के कारण पूर्व साइड में गाइड बांध निर्माण कार्य के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया

सरपंच
ग्राम पंचायत बिडोली
पं. स. धोद (सीकर)

बबीता धर्मपाल कुलान सिंह अनाराम
प्रियंका चमेली आशा मनीज
रामनिवास सुरेन्द्र रोताश सुनिता सुरेन्द्र
सन्तरा गीता कमलेश
दीनानाथ धर्मेन्द्र अशोक रतन सिंह अमरजी
दीनाराम
प्रलाद किशमा धर्मपाल
शंकरलाल किरण ईसा अशोक
सन्तरा शीमम महेश
सुमन ममता
सुखदेवी श्रीमलाल मानाराम कुलाल
सुरेश दुल्लाराम रामस्वरूप सुरजमल
सरोज सविता
डुंगरमल सोनू मन्नू
सालुराम राजु सिंह सपना रामोतार
मावबा सीमा रामेश
सन्तोष चम्पा सुभानाराम
कोमल दीनाराम जयराम अनिता
रामभरोस तारबी
लीलाराम गोरधन
पकज मोती
लिखू अंगुरसी
सपना आमिर
गुलाब
सुमन मलारी
मामलदेवी गुलाराम
संतोष सुमन
लीला
मुकेश
मुकेश
Ajay
(भागीराम मीणा)
सरपंच